

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 11]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 10 जनवरी 2023—पौष 20, शक 1944

वाणिज्यिक कर विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 10 जनवरी 2023

क्रमांक एफ ए 3-35/2017/1/पाँच (75) : मध्यप्रदेश माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 11 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, परिषद् की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए-3-35/2017/1/पाँच (63) दिनांक 07.12.2018 में और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में

- (i) क्रमांक 102 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा: -
- "जलीय फ़ीड समेत झींगा फ़ीड और झींगा फ़ीड, पोल्ट्री फ़ीड और पशु फ़ीड सहित घास, घास और पुआल, पूरक और योजक, गेहूँ की भूसी और डीऑइल केक- [चावल की भूसी से भिन्न]";

- (ii) क्रमांक 102ख और तत्संबंधी प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रमांक और प्रविष्टियों को अंतः स्थापित किया जाएगा, यथा :-

(1)	(2)	(3)
"102ग	2302,2309	चिल्का सहित दालों की भूसी, चुन्नी या चूरी, खंडा सहित सांद्र"।

2. यह अधिसूचना 01 जनवरी, 2023 को प्रवृत्त हुई मानी जावेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 10 जनवरी 2023

क्र. एफ ए-3-35-2017-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्र. एफ ए-3-35-2017-1-पांच (75), दिनांक 10 जनवरी 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

Bhopal, the 10th January 2023

No. F A 3-35/2017/1/V (75) : In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) of section 11 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the State Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in this Department's notification No. F A-3-35/2017/1/V(63)- 2017 dt 30.06.2017, namely :-

In the said notification, in the Schedule, -

- (i) against serial number 102, in column (3), for the entry, the following entry shall be substituted, namely: -  
"Aquatic feed including shrimp feed and prawn feed, poultry feed & cattle feed, including grass, hay & straw, supplement & additives, wheat bran & de-oiled cake [other than rice bran]";
- (ii) after serial number 102B and the entries relating thereto, following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)
"102C	2302, 2309	Husk of pulses including Chilka, Concentrates including chuni or churi, Khanda";

2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from the date 1<sup>st</sup> day of January, 2023.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
R. P. SHRIVASTAVA, Dy. Secy.